

—::— छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन —::—

— प्रधान-कार्यालय, उद्योग भवन, तृतीय तल, रिंग रोड नं०-1, रायपुर (छ०ग०) —

क्रमांक/छगवेका/स्था०/2017-18/4877

रायपुर, दिनांक- 25-04-17

—:: आदेश ::—

संचालक मण्डल की 37वीं बैठक दिनांक 31.03.2017 के प्रस्ताव एवं ठहराव क्रमांक 37.06 पर चर्चा उपरांत, बस्तर संभाग में कार्यरत निगम अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के वित्त निर्देश 44/2013 के अनुरूप "बस्तर भत्ता" दिनांक 01.04.2017 से निगम में प्रदान करने की सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी है।

संचालक मण्डल के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के बस्तर संभाग में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, छ०ग० शासन के वित्त निर्देश 44/2013, क्रमांक 278/एल-2013-56-00005/वित्त/नियम/चार, नया रायपुर दिनांक 23.07.2013 के अनुसार "बस्तर भत्ता" निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है—

क्रमांक	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की श्रेणी	देय भत्ता (रूपये में)
01	प्रथम श्रेणी	600/-
02	द्वितीय श्रेणी	600/-
03	तृतीय श्रेणी	500/-
04	चतुर्थ श्रेणी	350/-

यह आदेश दिनांक 01.04.2017 से निगम में लागू होगा। यह भत्ता वर्तमान में प्राप्त "अनुसूचित क्षेत्र भत्ता" के स्थान पर देय होगा।

*[Signature]*  
24.04.  
प्रबंध संचालक

क्रमांक/छगवेका/स्था०/2017-18/4877  
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ प्रेषित।

रायपुर, दिनांक- 25-04-17

01. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मु० रायपुर।
02. निज सहायक, प्रबंध संचालक, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
03. प्रबंधक (कार्मिक/लेखा/वाणिज्य/तंकनीकी/कार्पोरेट-लेखा), कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
04. वेतन पत्रक/भविष्य निधि शाखा, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
05. समस्त शाखा प्रबंधक, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, छत्तीसगढ़।
06. मास्टर नस्ती।

*[Signature]*  
24.04.  
प्रबंध संचालक